13

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 02/2022 बउनवानी प्रभूदयाल महावर बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार वजीरपुर निवासी मकान नम्बर,23, संतोष नगर, पुरोहित जी की टापरी कोटा–324002

GCMS No-2022/2

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
1.2.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 30.10.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. जिला सवाईमाधोपुर की तहसील वजीरपुर के ग्राम खण्डीप की दिनांक 1.9.2017 से 30.9.2017 उप पंजीयक गंगापुर सिटी द्वारा उक्त अवधि के मध्य जो भी विक्रय पत्र रजिस्टर्ड हुए है उनमे क्रेता व विक्रेता के नाम की सूचना प्रदान करे। 2. जिला सवाई माधोपुर की तहसील वजीरपुर के ग्राम खण्डीप की दिनांक 1.9.2017 से दिनांक 30.9.2017 तक उप पंजीयक गंगापुर सिटी द्वारा उक्त अवधि के मध्य जो भी विक्रय पत्र रजिस्टर्ड हुए है वह विक्रय पत्र जिन दस्तावेजों के आधार पर पंजीकृत/रजिस्टर्ड किया गया है उन दस्तावेजो की प्रतिया प्रदान करे। प्रदान करने से पूर्व रिकार्ड का अवलोकन करवाया जाकर सूचना प्रदान करे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वजीरपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वजीरपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वजीरपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः सूकाअ/2021/163 दिनांक 23.01.2022 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 30.10.2021 के बिन्दु संख्या 1 से 2 पर चाही सूचना से संबंधित रिकार्ड का किसी भी कार्यालय दिवस मे कार्यालय मे उपस्थित होकर अवलोकन कर सूचना प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार से अपीलान्ट को रिकार्ड का अवलोकन करने हेतु लिखा जा चुका है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 से 2 पर चाही गयी सूचना के संबंध में उप पंजीयक वजीरपुर के पत्रांक/पंजीयन/2021/140 दिनांक 16.11.2021 से सूचना का संबंध उप पंजीयक गंगापुर सिटी से होना बताते हुए सूचना देने से इन्कार कर दिया जबकि वांछित सूचना उप पंजीयक वजीरपुर के कार्यालय से ही संबंधित थी। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने के उपरान्त भी अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नही करवाकर अपीलान्ट को सूचना से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन करने हेतु लिखा गया है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को बार–बार भ्रमित किया जा रहा है। उप पंजीयक वजीरपुर का उक्त कृत्य सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के उल्लंघन एवं राजकार्य के प्रति लापरवाही की श्रेणी मे आता है। अतः लोक सूचना अधिकारी उप पंजीयक वजीरपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को वांछित सूचनाएं 15 दिवस में उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया। (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.15 12:02:12 IST
Reason: SelfAttested